न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री दौलतराम चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :— 53 /2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
रामदास पुत्र आनन्ददास जाति वैष्णव निवासी देवली हुल्ला, तह0 सोजत जिला पाली।		1 देवाराम पुत्र बींजाराम जाति प्रजापत, निवासी देवली हुल्ला हाल नि0 C/o Parsmal S/o Devaram IIIrd Cross Near School Malni Road Bangalore. 2 गुणेशराम पुत्र मालाराम जाति प्रजापत निवासी देवली हुल्ला हाल निवासी C/o Mangilal S/o Gunesh Ram Parjapat near Govt School Mathikari, Yeswantpur Banglore 54.

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः—

1. श्री भुण्डाराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. श्री राजाराम प्रजापति एवं श्री शान्तिप्रकाश माथुर अधि0 अप्रार्थीगण उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक :— 25.03.2021

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा देवली हुल्ला, तहसील सोजत में खसरा नंबर 144, 147, 149, 150 व 154 की कृषि जोत मे से नया मार्ग प्रार्थी की खातेदारी खसरा संख्या 156, 156/1, 157 तक जाने हेतु आशय रखते है। अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी कृषि जोत की कृषि भूमि खसरा संख्या 144 रकबा 0.4000 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, खसरा संख्या 150 रकबा 1.0300 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, खसरा संख्या 154 रकबा 0.5500 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल तथा अप्रार्थी सख्या 2 की खातेदारी कृषि जोत की कृषि भूमि खसरा संख्या 147 रकबा 0.6800 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, खसरा संख्या 149 रकबा 0.8700 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, खसरा संख्या 155 रकबा 0.5200 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, खसरा संख्या 155/1 रकबा 0.0800 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल प्रार्थी को अपनी खातेदारी कृषि जोत की भूमि खसरा संख्या 156 रकबा 1.3800, खसरा संख्या 156 /1 रकबा 0.1200 हैक्टर खसरा संख्या 157 रकबा 0.9900 हैक्टर में आवागमन हेतु 20 फुट चौडा रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी कृषि जोत की कृषि भूमि खसरा सख्या 144 रकबा 0.4000 हैक्टर, ख0नं0 150 रकबा 1.0300 हैक्टर, ख0न0 154 रकबा 0.5500 हैक्टर एवं अप्रार्थी संख्या 02 की खातेदारी कृषि जोत की भूमि ख0न0 147 रकबा 0.6800 हैक्टर, खसरा संख्या 149 रकबा 0.8700 हैक्टर, ख0नं 155

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned with CamScanner

रकबा 0.5200 हैक्टर, ख0सं0 155/1 रकबा 0.0800 हैक्टर में से प्राप्त करने का कानूनी अधिकारी है। प्रार्थी के अपनी भूमि पर आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थी नियमानुसार रास्ते की राशि जमा करवाने हेतु तैयार है। जमाबंदी में 156, 156/1, 157 में पहुँचने हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 144, 147, 149, 150, 154 के साथ संलग्न है, जो लाल रंग से दर्शित है जो मार्क ए से बी है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रा0 पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251 आर0टी0एक्ट 1955 के तहत पेश कर सरहद मौजा देवली हुल्ला पटवार हल्का मुरडावा के अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी कृषि जोत की कृषि भूमि खसरा संख्या 144 रकबा 0.4000 हैक्टर खसरा संख्या 150 रकबा 1.0300 हैक्टर, खसरा संख्या 154 रकबा 0.5500 हैक्टर एवं अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी कृषि जोत की कृषि भूमि खसरा संख्या 147 रकबा 0.6800 खसरा संख्या 149 रकबा 0.8700 हैक्टर खसरा संख्या 155 रकबा 0.5200 हैक्टर, खसरा संख्या 155/1 रकबा 0.0800 हैक्टर में से 20 फुट चौड़ा नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शित जो मार्क ए से बी रास्ता प्रार्थी की खसराजात भूमि खसरा संख्या 156 रकबा 1.3800 हैक्टर, खसरा संख्या 156/1 रकबा 0.1200 हैक्टर, खसरा संख्या 157 रकबा 0.9900 हैक्टर तक जाने हेतु रास्ता दिलाया जाने एवं रास्ते को राजस्व रेकर्ड में तरमीम किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री राजाराम प्रजापति व श्री शान्तिप्रकश माथुर अधिवक्तागण ने वकालतनामा पेश किया, सा0मि0 हो। अधिवक्ता मय अप्रार्थीगण ने दिनांक 24.10.2019 को जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर अंकित किया है कि प्रार्थी रामदास पुत्र आनन्ददास जाति वैष्णव निवासी देवली हुल्ला तह0 सोजत ने उक्त प्रार्थना पत्र बिल्कुल ही गलत व मनगढत तथ्यों को आधार बनाकर न्यायालय हाजा के समक्ष पेश किया है, जो कतई चलने योग्य नहीं है। प्रार्थी खातेदार के जोत मे पहुचने के लिए खसरा नंबर 144, 147, 149, 150 व 154 सरहद मोजा देवली हुल्ला प0ह0 मुरडावा व भू0अभि0 निरी0. चण्डावल तह0 सोजत की जोत में से मार्ग प्रार्थी की खातेदारी खसरा नंबर 156, 156/1 व 157 तक जाने का आशय जो बताया गया है, प्रार्थी व उनके परिवार वाले अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि में से होकर कतई अपनी भूमि में आने जाने के रूप मे रास्ते का प्रयोग नही किया है न ही वर्तमान में कर रहे हैं। इसलिए प्रार्थी ने बिल्कुल गलत रूप से प्रा0 पत्र प्रस्तुत किया है। क्योंकि ग्राम देवली हुल्ला के राजस्व नक्शा के अनुसार खसरा नंबर 156, 156/1, 157 मे आने जाने का प्रार्थी ने जो उक्त अधिनियम के तहत 20 फुट चोड़ा रास्ता की मांग खसरा नंबर 144, 150, 154, 147, 149, 155 व 155/1 की है वह बिल्कुल ही गलत बेबुनियादी मांग की है तथा न्यायालय हाजा को भी मुकालता में रखा है, सही व वास्तविक तथ्य प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किये है। प्रार्थी ने जिस खसरा

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned with CamScanner

नंबर से अपनी जोत में आने जाने हेतु जो रास्ते की मांग की है, वह इन तमाम खसरों मे से होकर जबरदस्ती गलत रूप से रास्ते की मांग की है, जबकि देवली हुल्ला से बगडी जाने वाली डामर सडक के पास खसरा नंबर 158 एक ही खसरा आया हुआ है तथा उनके पीछे ही प्रार्थी के खसरा नंबर 156, 156/157 की कृषि भूमि स्थित है जो इस खसरा नंबर मे से रास्ता न मांग कर अप्रार्थीगण की कृषि भूमि के खसरा नंबर में से होकर रास्ते की मांग की है, जो आम डामर सडक से होकर प्रार्थी के खसरा नंबर की भूमि पर जाने हेतु काफी दूरी पर प्रार्थी की भूमि स्थित है, जबकि खसरा नंबर 158 में से होकर आसानी से प्रार्थी अपनी भूमि मे आने जाने हेतु आवागमन कर सकता है। जिस हेतु खसरा नबंर 158 में से रास्ता की मांग नही कर गलत रूप से अप्रार्थीगण की भूमि में होकर जबरदस्ती इस अधिनियम के तहत नाजायज फायदा उठाते हुए रास्ते की मांग की है, जो बिल्कुल ही गलत व नाजायज मांग की है, जबकि प्रार्थी की भूमि पर आने जाने हेतु अल्ट्रनेट नजदीकी रास्ता पर मात्र एक खसरा नंबर 158 होने के बावजूद भी अप्रार्थीगण के तमाम खसरा नंबरान में से होकर गलत रूप से अपनी भूमि में जाने हेतु रास्ते की मांग की हैं जिसके आधार पर प्रार्थी कतई रास्ता पाने का अधिकारी नही है। इसके अलावा भी एक ओर नजदीक कच्चा रास्ता जो खसरा नंबर 146, 142, 141, 140 के पास होकर आगे मात्र खसरा नंबर 209 में से रास्ते की मांग कर प्रार्थी के स्वयं के खसरा नंबर 211, 210, 208 में से होकर अपने खसरा नंबर 156, 156/1 व 157 की आराजी में आसानी से आ जा सकता है। मात्र खसरा नंबर 211, 210, 208 में से होकर अपने खसरा नंबर 156, 156/1 व 157 की आराजी में आसानी से आ जा सकता है। मात्र खसरा नंबर 209 व 158 में से ही प्रार्थी को रास्ते की मांग करनी चाहिए थी, जो नही कर अप्रार्थीगण की आराजी में से होकर अधिनियम का गलत रूप से प्रयोग करता हुआ रास्ते की मांग की है, जो बिल्कुल ही गलत है। इसलिए उक्त प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिले खारीज के है। प्रार्थी ने खसरा नंबर 156, 156/1, 157 में आने जाने हेतु रास्ते की मांग अकेले ही की है, जबकि एक अन्य इसका भाई सोहनदास भी खातेदार है, जिनको कि रास्ते की जरूरत नही है और मात्र प्रार्थी को ही उपरोक्त ख0न0 में आने जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है, जो कतई मानने योग्य नहीं है। खसरा नंबरान में आने जाने हेतु रास्ते की जरूरत सभी खातेदारान को होती है, जो सभी खातेदार संयुक्त रूप से रास्ते की मांग हेतु प्रा0 पत्र पेश किया जाना चाहिए था, जो नही कर मात्र. प्रार्थी अकेले ने ही प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो कतई चलने योग्य नहीं है। इसलिए अन्य खातेदारान के अभाव में उक्त प्रा0 पत्र काबिले खारिज के है। प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नंबर 156, 156/1, 157 में आने जाने हेतु प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के जिन खसरा नंबरान में से होकर जो रास्ते की मांग की है। उक्त खसरा नंबरान के अलावा खसरा नंबर 209, 158 की भूमि प्रार्थी की भूमि के नजदीक की पड़ती है, जिसमें से रास्ते की मांग नहीं कर जबरदस्ती अप्रार्थीगण की भूमि में से रास्ते की मांग की है, जो कतई स्वीकार योग्य नहीं है। इसलिए प्रार्थी का प्रा0 पत्र

उप खण्ड अधिकारी
जोजद (जिला-पाली) राज.

Scanned with CamScanner

खारिज फरमाये जाने योग्य है। नजदीक खसरा नंबर होने के बावजूद भी अप्रार्थीगण के खसरा नंबर जो काफी दूरी पर स्थित है जिसमें से होकर जो रास्ते की मांग की है जो बिल्कुल ही गलत है। यदि प्रार्थी को अपनी भूमि में जाने हेतु रास्ते की जरूरत ही है तो खसरा नंबर 209 व 158 जो कि प्रार्थी की भूमि के नजदीक है में से मांग करें। इस प्रकार अधिवक्ता मय अप्रार्थीगण ने जबाब प्रा0 पत्र पेश कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र सव्यय खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

तहसीलदार, सोजत से विवादग्रस्त/प्रार्थित रास्ते की भूमि के सम्बन्ध में बरूवे मौका रूबरू उभय पक्ष अपेक्षित बिन्दुओं पर कि आया निकटतम वर्तमान रास्ते की दूरी वैकल्पिक रास्ते की दूरी एवं आवेदित भूमि के सुविधाजनक उपयोग के लिए तो नहीं किया जा रहा है, के सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा वस्तुस्थिति चाही गई। मौका फर्द मय नजरी नक्शा रूबरू मौतबिरान आदि के तैयार तहसीलदार, सोजत द्वारा प्रस्तुत की गई, सामिल पत्रावली की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने व्यक्त किया कि हस्ब प्रा0 पत्र अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी कृषि जोत की कृषि भूमि खसरा संख्या 144 रकबा 0.4000 हैक्टर खसरा संख्या 150 रकबा 1.0300 हैक्टर, खसरा संख्या 154 रकबा 0.5500 हैक्टर एवं अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी कृषि जोत की कृषि भूमि खसरा संख्या 147 रकबा 0.6800 खसरा संख्या 149 रकबा 0.8700 हैक्टर खसरा संख्या 155 रकबा 0.5200 हैक्टर, खसरा संख्या 155/1 रकबा 0.0800 हैक्टर में से 20 फुट चौड़ा रास्ता प्रार्थी की खसराजात भूमि खसरा संख्या 156 रकबा 1.3800 हैक्टर, खसरा संख्या 156/1 रकबा 0.1200 हैक्टर, खसरा संख्या 157 रकबा 0.9900 हैक्टर तक आने–जाने अर्थात् आवागमन हेतु दिलाया जाने एवं रास्ते को राजस्व रेकर्ड में तरमीम किये जाने की ईश्तदुआ की है। बहस के जबाब में अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने व्यक्त किया कि **तहसीलदार सोजत द्वारा सम्बन्धित पटवारी व भू0अ0निरी0 रूबरू मौतबिरान फर्द मौका मय नजरी नक्शा प्रस्तुत मौका रिपोर्टानुसार बताया** कि प्रार्थी की खसराजात भूमि खसरा संख्या 156 रकबा 1.3800 हैक्टर, खसरा संख्या 156/1 रकबा 0.1200 हैक्टर, खसरा संख्या 157 रकबा 0.9900 हैक्टर तक आवागमन हेतु नजदीकी रास्ता ख0न0 153/2 से मौका फर्द में पीली स्याही से दर्शाया गया है। जबकि प्रार्थी द्वारा ख0न0 144, 150, 154, 147, 149, 155, 155/1 से रास्ता काफी लम्बा तथा निकटतम नहीं होकर अधिकतम दूरी का चाहा गया है। अतः प्रावधानानुसार प्रा0 पत्र क्लीन हैण्ड से पेश नहीं किया गया है, जिससे पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्षों को सुना प्रस्तुत प्रा0 पत्र, जबाब एवं मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन किया एवं बहस

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned with CamScanner

वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। यहा सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) का उल्लेख करना आवश्यक है। जिसके अनुसार "1. यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नही है और 2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है,।" चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की खातेदारी जोत में पहूँच हेतु सुविधाजनक मार्ग हेतु आवेदन किया जाना परिलक्षित होता है, जबकि निकटतम मार्ग खसरा नम्बर 153/2 में पीली स्याही से इंगित पाया गया है, जिसके खातेदार को न तो पक्षकार संयोजित किया गया है तथा न ही उससे किसी प्रकार की Relief चाही गई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण न्यायालय के समक्ष Clean Hand से उपस्थित नही हुए है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के Mandatory Provision को पूर्ण नही करने से पोषणीय नही होना पाया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रावधानों के विपरित होने से पोषणीय नहीं है तथा क्लीन हैण्ड से पेश नहीं किया है। फलस्वरूप प्रार्थी मय अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा उक्त प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पोषणीय नही होने से खारिज किया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर लेख्य भण्डार जमा हो।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 25.03.2021 को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

Scanned with CamScanner